

प्रेषक,

पार्थ सारथी सेन शर्मा

प्रमुख सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ०प्र० लखनऊ

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 09 जुलाई, 2024

विषय:- शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम०डी०/ एम०एस०/डिप्लोमा/डी०एन०बी०/एम०डी०एस०) में प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश/नीति निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम०ई०-03/2024/1252, दिनांक-27.06.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल एलिजबिलिटी इन्ट्रेन्स टेस्ट (NEET) पी०जी०-2024 की मेरिट सूची के आधार पर स्टेट कोटा की सीटों के सापेक्ष शैक्षणिक सत्र 2024-25 हेतु प्रदेश के राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों (एम०डी० / एम०एस०/डिप्लोमा/डी०एन०बी०/एम०डी०एस० ) में प्रवेश हेतु निम्नवत दिशा-निर्देश/नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

### **1- अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर)-**

नीट पी०जी०-2024 एवं नीट एम०डी०एस०-2024 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, पंजीकरण/धरोहर धनराशि के भुगतान आदि की कार्यवाही हेतु गत वर्ष की भांति ही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) योजना भवन, लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है। यू०पी० नीट पी०जी०-2024 की काउन्सिलिंग हेतु मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश तथा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ०प्र० या उनके द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा एन०आई०सी० के सहयोग से तैयार की जाए।

पी०एम०एच०एस० सवर्ग के एम०बी०बी०एस० डिग्री धारक चिकित्सकों को राजकीय मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील

संखुया-8047/2016 डल दिनेश सिंह चैहान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-16.08.2016 के क्रम में Weightage (भारांक) दिया जायेगा। नीट पी0जी0-2024 की काउन्सिलिंग हेतु एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा के पंजीकृत अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0 द्वारा प्रदत्त पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अर्ह चिकित्सकों की सूची में अंकित अभ्यर्थियों को नियमानुसार भारांक Weightage प्रदान करते हुये तैयार करायी जायेगी। डी0एन0बी0 तथा एम0डी0एस0 के पंजीकृत अभ्यर्थियों की स्टेट मेरिट सूची आल इण्डिया रैंक के आधार पर तैयार की जायेगी।

यू0पी0 नीट पी0जी0-2024 की काउन्सिलिंग से सम्बन्धित विवरणपुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही महानिदेशालय स्तर पर गठित समिति, जिसमें के0जी0एम0यू0, लखनऊ, डल राममनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, शासन के प्रतिनिधि तथा चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधिकारी सम्मिलित होंगे, के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

## 2- अर्हताएं (Eligibility):-

- i. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने नीट पी0जी0-2024 तथा नीट एम0डी0एस0-2024 की परीक्षा में प्रतिभाग किया हो तथा परीक्षा में अर्ह घोषित किए गये हो, काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे।
- ii. नीट एम0डी0एस0 2024 की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनकी इण्टर्नशिप **30 जून, 2024** तक पूर्ण हो रही हो।
- iii. नीट पी0जी0-2024 (एम0डी0/एम0एस0/डिप्लोमा/डी0एन0बी0) की काउन्सिलिंग मे प्रतिभाग करने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनकी इण्टर्नशिप **15 अगस्त, 2024** तक पूर्ण हो रही हो।
- iv. राजकीय क्षेत्र की स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्टेट कोटे की उपलब्ध सीटों पर काउन्सिलिंग हेतु अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ एवं बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, एम्स रायबरेली एवं एम्स गोरखपुर से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य सभी मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों से एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
- v. निजी क्षेत्र के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों पर काउन्सिलिंग हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सहित भारत के अन्य प्रदेशों के मेडिकल/डेण्टल कालेजों से

एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह हॉगे।

- vi. उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन0बी0ई0एम0एस0 द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कट- आफ स्कोर के अनुसार यू0पी0 नीट पी0जी0-2024 एवं नीट एम0डी0एस0-2024 की काउन्सिलिंग हेतु अर्ह हॉगे।
- vii. यू0पी0 नीट पी0जी0-2024 एवं नीट एम0डी0एस0-2024 की काउंसिलिंग हेतु अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी एन0बी0ई0एम0एस0 द्वारा जारी अनारक्षित वर्ग के कट-ऑफ स्कोर के अनुसार ही काउंसिलिंग में पंजीकरण हेतु अर्ह हॉगे। ऐसे अभ्यर्थियों को एन0बी0ई0एम0एस0 द्वारा जारी आरक्षित वर्ग के कट-ऑफ स्कोर का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- viii. ऐसे अभ्यर्थी जो भारतीय नागरिक या भारत के मूल निवासी हॉ, जिन्होंने भारत से बाहर के मेडिकल कालेजों से अपनी प्राथमिक चिकित्सा योग्यता प्राप्त किया है, उन्हें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा नीट पी0जी0-2024 के लिये जारी सूचना बुलेटिन के बिन्दु 4.10 में दिये गये निर्देशानुसार, एफ0एम0जी0ई0 की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये तथा उन्हें एन0एम0सी0/एम0सी0आई0 या राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकृत होना चाहिये। ऐसे अभ्यर्थियों की इण्टर्नशिप 15 अगस्त 2024 तक पूर्ण होनी चाहिये। ऐसे अभ्यर्थी प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु अर्ह हॉगे।
- ix. यू0पी0 नीट पी0जी0-2024 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु विदेशी नागरिकों के लिए पात्रता मानदण्ड का निर्धारण नेशनल बोर्ड आफ एग्जामिनेशन द्वारा नीट पी0जी0-2024 के लिये जारी सूचना बुलेटिन के बिन्दु 4.11 में दिये गये निर्देशानुसार हॉगे। ऐसे अभ्यर्थी प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेन्टल कालेजों की सीटों हेतु अर्ह हॉगे।
- x. डा0 सौरभ द्विवेदी व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8268/2017 तथा डा0 नितिन कुमार व अन्य बनाम डा0 राम दिवाकर व अन्य द्वारा योजित सिविल अपील संख्या-8274/2017 में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2017 के अनुपालन में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सूची महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी, उन्हें नियमानुसार भारांक प्रदान किया जायेगा तथा वह काउंसिलिंग हेतु अर्ह हॉगे।
- xi. डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम की स्टेट कोटा सीटों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के In-Service

अभ्यर्थी ही अर्ह होंगे।

- xii. ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी विशिष्टता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं, यदि वह यू0पी0 नीट पी0जी0-2024 की काउंसिलिंग द्वारा उसी विशिष्टता की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करते हैं, तो इस दशा में राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग के अधिसूचना दिनांक 29.12.2023 "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम-2023" के अध्याय-2 के बिन्दु-2.1 में निम्न व्यवस्था है-

परीक्षा की अवधि सहित प्रशिक्षण की अवधि उन छात्रों के लिए दो वर्ष होगी, जिनके पास एक ही विषय में मान्यता प्राप्त दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम है।

### 3- अनर्हताएं (Not Eligibility):-

- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 परीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर एवं उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों/चिकित्सा संस्थानों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों की सीटों पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- यू0पी0 नीट पी0जी0 2023 के स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया हो, वे यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह नहीं होंगे।

### 4- पंजीकरण शुल्क:-

- यू0पी0 नीट पी0जी0-2024 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को <https://upneet.gov.in> पर निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- काउंसिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चक्र की काउंसिलिंग हेतु रू0 3,000/- (रूपये तीन हजार मात्र)

2. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग हेतु रू0 2000/- (रूपये दो हजार मात्र)
- iii. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों को नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- iv. पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस देय नहीं (Non Refundable) होगा।

#### **5- धरोहर धनराशि (Security Money):-**

- i. यू0पी0 नीट पी0जी0-2024 की काउंसिलिंग हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) की व्यवस्था निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:-
  1. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु- रू0 30,000/- (रूपये तीस हजार मात्र)
  2. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु- रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र)
  3. निजी क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु- रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र)
- ii. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के मेडिकल कालेजों की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।
- iii. ऐसे अभ्यर्थी जो राजकीय एवं निजी दोनों क्षेत्र के डेण्टल कालेजों की सीटों हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं उन्हें मात्र रू0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की धरोहर धनराशि ही जमा करनी होगी।
- iv. धरोहर धनराशि (Security Money) आनलाइन माध्यम से जमा करायी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा धरोहर धनराशि जमा नहीं की जायेगी वह च्वाइस फिलिंग हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- v. समस्त चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के उपरान्त यदि अभ्यर्थी को कोई भी सीट आवंटित नहीं होती है, तो ऐसी दशा में उसकी धरोहर धनराशि, उसी खाते में नियमानुसार वापस की जाएगी, जिस खाते से उसका भुगतान किया गया है।

#### **6- आरक्षण व्यवस्था:-**

- i. प्रदेश में स्थापित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वशासी संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की स्टेट कोटे की सीटों पर उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी आरक्षित वर्ग की जातियों की अद्यतन सूची के

अनुसलर निम्नानुसलर आरक्षण अनुमन्य हलगल:-

**(क) उर्द्वलधर (Vertical) आरक्षण**

अनुसूचित जलति श्रेणी के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजलति श्रेणी के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछडल वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत
ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के अभ्यर्थी	10 प्रतिशत

**(ख) क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण**

दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी	05 प्रतिशत
-----------------------------	------------

- ii. रिट यलचिकल संख्या-1968 आफ 2017 ज्योति शुक्लल बनलम उ0प्र0 रलज्य व अन्य में मल0 उच्च न्यललललल, इललहलबलद दवलर क्षैतिज आरक्षण के संबंध में दिनलंक-24.3.2017 को पलरित आदेश दवलर क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण कल ललभ अभ्यर्थी को अपनी उर्द्वलधर (Vertical) श्रेणी में ही उपलब्ध हलगल।
- iii. स्पेशल अपील संख्या-689/2015 सुरेन्द्र कुमलर कनवत बनलम यूनियन ऑफ इंडियल व अन्य में मलननीय उच्च न्यललललल दवलर पलरित आदेश दिनलंक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य रलज्यों/संघ शलसित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थलपित हलकर आये अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार के आरक्षण कल ललभ देय नहीं हलगल।
- iv. उत्तर प्रदेश रलज्य के अतिरिक्त अन्य रलज्यों के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अनलरक्षित श्रेणी में मलने जलयेगें।
- v. प्रदेश के रलजकीय मेडिकल कललेजों/संस्थलनों/विश्वविदुललयों में एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 पलठ्यक्रम में ऑल इण्डियल कोटल की सीटों पर अन्य प्रदेश के प्रवेशित आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को स्टेट कोटल की पी0जी0 सीटों पर आरक्षण सम्बन्धी ललभ देय नहीं हलगल तथल वह अनलरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी ही मलने जलयेगे।
- vi. आरक्षण से सम्बन्धित सभी प्रमलण पत्र (दिव्यांगतल प्रमलण-पत्र को छोडकर) उत्तर प्रदेश शलसन दवलर निर्धलरित प्रलरूप पर उत्तर प्रदेश के सक्षम प्रलधिकलरी दवलर निर्गत ही मलन्य हलंगे।
- vii. भरलत सरकलर के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किये जलने वलले प्रमलण पत्र के प्रपत्र पर आरक्षण प्रमलण पत्र मलन्य नहीं हलगल।
- viii. दिव्यांगतल प्रमलण-पत्र, मेडिकल कलउन्सिलिंग कमेटी, Director General of Health Services (DGHS) Ministry of Health and Family Welfare,

New Delhi द्वारा जारी निर्देशानुसार निर्धारित केन्द्रों से निर्गत एवं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगे।

- ix. अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2024 के बाद का निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
- x. निजी क्षेत्र के अल्पसंख्यक संस्थानों की 50 प्रतिशत सीटों पर संबंधित धार्मिक अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों को आवंटन प्रदान किया जायेगा, तथा 50 प्रतिशत सीटें ओपन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवंटित की जायेगी।

## 7- काउंसिलिंग एवं आवंटन प्रक्रिया:-

- i. भारत सरकार द्वारा नीट पी0जी0-2024 काउंसिलिंग हेतु निर्गत समय सारणी में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा स्टेट कोटे की काउंसिलिंग हेतु समय-सारणी पृथक से निर्गत की जायेगी।
- ii. अभ्यर्थी प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित सीट को तृतीय चक्र की काउंसिलिंग तक अपग्रेड करने हेतु अर्ह होंगे।
- iii. अभ्यर्थी द्वारा पुनरावंटन हेतु दिये गये विकल्प के अनुसार यदि कोई अन्य सीट आवंटित हो जाती है, तो पूर्व में आवंटित सीट स्वतः रिक्त होकर किसी अन्य अर्ह अभ्यर्थी को आवंटित हो जायेगी। पुनरावंटन (Reshuffle)न होने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा पूर्व प्रवेशित सीट यथावत बनी रहेगी।
- iv. पुनरावंटन हेतु अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग के दौरान पूर्ववर्ती चक्र की काउंसिलिंग से प्रवेशित सीट का विकल्प अगले चक्र की काउंसिलिंग में न भरे। यदि पूर्व प्रवेशित सीट का विकल्प भरने के पश्चात् अभ्यर्थी को पुनरावंटन के फलस्वरूप वही सीट पुनः आवंटित हो जाती है, तो ऐसी दशा में अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया पुनः सम्पन्न करनी होगी। अन्यथा की दशा में पूर्व से प्रवेशित सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का ही होगा।

### (क) प्रथम चक्र की काउंसिलिंग

- i. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउंसिलिंग द्वारा आवंटित/प्रवेशित अभ्यर्थियों को निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा होगी अर्थात् प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन के पश्चात् यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश नहीं लिया जाता है, तो उसकी धरोहर धनराशि वापस कर दी जाएगी।

- II. प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से निःशुल्क निर्गमन (Free Exit) की सुविधा प्राप्त अभ्यर्थी द्वितीय अथवा तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनः प्रतिभाग कर सकता है।

(ख) द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग:-

- i. प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- ii. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। ऐसे अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने के पश्चात ही अर्ह होंगे।
- iii. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जाएगी एवं उसके द्वारा राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रवेश शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु उसके द्वारा तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी के मूल अभिलेख भी वापस कर दिये जायेंगे।

(ग) तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग:-

- I. प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से अनावंटित तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों को तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- II. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित सीट पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- III. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।



- IV. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रथम/द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पुनरावंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।
- V. तृतीय चक्र की काउंसिलिंग के आवंटन की प्रोसेसिंग के पश्चात् यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सभी सीटों को निम्नांकित तालिकानुसार आमेलित करते हुए आवंटन प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी:-

### CONVERSION ALGORITHM

S.No.	CONVERSION CATEGORY	CATEGORY CONVERTED TO
1	ST (PwD)	ST
2	SC (PwD)	SC
3	UR (PwD)	UR
4	OBC (PwD)	OBC
5	EWS (PwD)	EWS
6	ST	SC
7	SC	UR
8	OBC	UR
9	EWS	UR
10	Minority	UR

#### (घ) स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के सम्बन्ध में:-

- I. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह हगे, जिन्हें यू0पी0 नीट पी0जी0 2024 के किसी भी चक्र की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
- II. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट पी0जी0-2024 की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं हंगे।
- III. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु समस्त अर्ह अभ्यर्थियों को पृथक से रू0 2000/- पंजीकरण शुल्क जमा करते हुये नवीन पंजीकरण कराना अनिवार्य हगा।
- IV. ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व चक्रों की काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किये हों, एवं प्रथम बार स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में प्रतिभाग कर रहे हों, उन्हें नियमानुसार धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य हगा।
- V. प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

- VI. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र आवंटित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।
- VII. यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यूपी० नीट पी०जी० काउंसिलिंग 2025-26 के लिये प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

### **8. प्रवेश प्रक्रिया:-**

- i. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/संस्थान/विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी आवंटित कालेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर निर्धारित समस्त शुल्क संबंधित मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार जमा करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।
- ii. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों एवं अल्पसंख्यक संस्थान हेतु प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में रिट याचिका (सिविल) संख्या-267/2017 दार्-उस-सलाम एजूकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के क्रम में, विभिन्न मेडिकल कालेजों/संस्थानों/विश्वविद्यालयों को नोडल सेन्टर बनाकर निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों में आवंटित अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।
- iii. निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश हेतु नोडल सेन्टर की सूची महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ३०प्र० द्वारा पृथक से जारी की जायेगी।
- iv. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को आवंटित कालेज में प्रवेश हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क की धनराशि को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ३०प्र० लखनऊ के पक्ष में देय हो, के साथ निर्धारित नोडल सेन्टर (Nodal Center) पर व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी दशा में धरोहर धनराशि शिक्षण शुल्क में समायोजित नहीं की जायेगी।
- v. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों द्वारा समस्त शैक्षणिक अभिलेख मूल रूप में संबंधित राजकीय मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज अथवा नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं होने या सत्यापन में

अभिलेख गलत पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी।

- vi. राजकीय मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के डाटा एन0आई0सी0 के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगे। केवल पोर्टल पर अपडेट किये गये प्रवेश ही मान्य होंगे।
- vii. प्रवेश लेने के उपरांत किसी भी प्रमाण-पत्र के सक्षम स्तर से सत्यापन की प्रक्रिया में यदि कोई भी अभिलेख/प्रमाण-पत्र/सूचना कूटरचित पायी जाती है, तो इस स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी के स्वयं का होगा।
- viii. काउन्सिलिंग में आवंटित सभी अभ्यर्थियों का कालेज/नोडल सेन्टर स्तर पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराया जायेगा।

### **9. त्याग-पत्र दिये जाने के संबंध में-**

- I. त्याग-पत्र देने हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिनके द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की गयी हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश प्रक्रिया जिस कालेज/नोडल सेन्टर पर सम्पन्न की गयी थी, उसी कालेज/नोडल सेन्टर पर अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर त्याग-पत्र देना होगा। किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया गया त्यागपत्र मान्य नहीं होगा।
- II. राजकीय मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों/नोडल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी समस्त त्याग-पत्र नियमानुसार स्वीकार करते हुए एन0आई0सी0 के पोर्टल पर निर्धारित समयान्तर्गत अपडेट करेंगे। पोर्टल पर अपडेट किये गये त्यागपत्र ही मान्य होंगे।

### **(क) प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग:-**

- I. यदि कोई अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटन प्राप्त कर प्रदेश के किसी भी राजकीय/ निजी क्षेत्र की मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज की सीट पर प्रवेश प्राप्त कर लेता है तत्पश्चात वह प्रवेशित सीट से त्यागपत्र देना चाहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व (उदाहरणार्थ यदि द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की च्वाइस फिलिंग 24 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से प्रारम्भ है, तो अभ्यर्थी 22 जुलाई 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक) अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को निःशुल्क निर्गमन (Free

Exit) की सुविधा होगी, अर्थात् अभ्यर्थी की सम्पूर्ण धरोहर धनराशि एवं राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु एडमिशन शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जायेगा।

- II. प्रथम चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित प्राविधान लागू होंगे।

**(ख) द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग:-**

- I. राजकीय तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् अभ्यर्थी तृतीय चक्र की काउंसिलिंग के च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व तक अपनी सीट से त्यागपत्र दे सकता है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु एडमिशन शुल्क को छोड़कर तत्समय जमा समस्त शुल्क एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु तत्समय जमा शिक्षण शुल्क वापस कर दिया जायेगा।
- II. द्वितीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग से संबंधित प्राविधान लागू होंगे।

**(ग) तृतीय चक्र की काउन्सिलिंग:-**

- I. राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की तृतीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किये गये समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा।
- II. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु प्रदेश की तृतीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी यदि अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के च्वाइस फिलिंग से दो दिन पूर्व अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा उसके द्वारा तत्समय जमा किये गये शिक्षण शुल्क का 50

प्रतिशत जब्त कर लिया जायेगा।

- III. तृतीय चक्र से प्रवेशित कोई अभ्यर्थी यदि निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् त्याग-पत्र देता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों पर स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउन्सिलिंग से संबंधित प्राविधान लागू होंगे।

**(घ) स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड:-**

राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कॉलेजों हेतु स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि कोई अभ्यर्थी अपनी सीट से त्याग-पत्र देता है, तो अभ्यर्थी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धरोहर धनराशि तथा तत्समय जमा किया गया समस्त शुल्क जब्त कर लिया जायेगा। यदि अभ्यर्थी को धरोहर धनराशि वापस की जा चुकी है, तो वह भी अभ्यर्थी को वापस करनी होगी। धरोहर धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पक्ष में देय होगी।

**10- बाण्ड व्यवस्था लागू किए जाने के सम्बन्ध में :-**

(अ) अनिवार्य शासकीय सेवा बाण्ड - शासनादेश संख्या- 950/71-2-82/2017, दिनांक 07 मार्च, 2018 यथासंशोधित के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी राजकीय मेडिकल कालेज, स्वाशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, संस्थान तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों से अनिवार्य शासकीय सेवा से सम्बन्धित बाण्ड भराये जाने के पश्चात् तदुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ब) शासनादेश संख्या- 1/676928/2024, दिनांक-26 जून, 2024 के क्रम में राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों हेतु यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी द्वारा अंतिम चक्र की काउन्सिलिंग के पश्चात् पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व सीट छोड़ी जाती है, तो उसे अगले शैक्षणिक सत्र की प्रवेश प्रक्रिया से Debar कर दिया जायेगा।

**11. काउंसिलिंग बोर्ड का गठन-**

NEET पी0जी0-2024 की काउंसिलिंग हेतु बोर्ड का गठन निम्नानुसार होगा:-

- |   |   |         |
|---|---|---------|
| 1 | महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, 30 प्र0 (पदेन)                                    | अध्यक्ष |
| 2 | प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, द्वारा नामित विशेष सचिव/संयुक्त सचिव | सदस्य   |

3

शासन द्वारा नामित किसी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य /प्रोफेसर	सदस्य	
	<b><u>अनुसूचित जाति</u></b>	
	डा0 ऋषि पाल आचार्य, फार्माकोलॉजी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ	
	<b><u>अन्य पिछडा वर्ग</u></b>	
	डा0 दिलीप कुमार वर्मा , प्रोफेसर, फिजियोलॉजी विभाग, के0जी0एम0यू0, लखनऊ	
	<b><u>अल्पसंख्यक श्रेणी</u></b>	
	डा0 परवेज खान, आचार्य, आप्थोमोलॉजी विभाग, जी0 एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज, कानपुर	
4	मुख्यालय से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित 03 अधिकारी	सदस्य
5	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज/डेण्टल कालेज के प्रतिनिधि	सदस्य
6	महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नामित अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रतिनिधि	सदस्य
7	निदेशक, एन0आई0सी0, लखनऊ या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि	सदस्य

## **12. काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में:-**

नीट पी0जी0-2024 की ऑनलाइन काउंसिलिंग के संचालनार्थ, व्यापक प्रचार-प्रसार एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के प्रति मेडिकल कालेज से रू0 2,00,000/- तथा निजी क्षेत्र के प्रति डेण्टल कालेजों से रू0 1,00,000/- जमा कराया जायेगा।

काउंसिलिंग कार्य से सम्बन्धित समस्त व्यय यथा स्टेशनरी, कम्प्यूटर कार्टेज,

विधिक कार्य, वाहन, जलपान व अन्य प्रशासनिक मदों में होने वाले व्ययों की प्रतिपूर्ति सी0पी0एम0टी0 फण्ड से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त की जाएगी।

13. समय-समय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप काउन्सिलिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

14. यदि भारतीय आयुर्विज्ञान आयोग(एन0एम0सी0) द्वारा भविष्य में कोई अन्य दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, तो तदुसार उक्त शासनादेश में अपेक्षित संशोधन किया जायेगा।

15. किसी भी विवाद की स्थिति में केवल लखनऊ स्थित माननीय न्यायालयों का ही विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

प्रमुख सचिव।

### संख्या एवं तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नेशनल मेडिकल कमीशन, नई दिल्ली/डेण्टल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलसचिव, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
3. कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, 30प्र0, लखनऊ।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ।
5. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
6. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज/स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, 30प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज/विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, 30प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

10. निजी सचिव,अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
11. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 राज्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)

उप सचिव।